न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एम. एल. चौहान, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 26 / 2019 (उदयपुर डिक्री)

1. भंवरलाल पिता देवीलाल जी गुर्जर, निवासी गेहूँ का कुआ, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
2. सोवनीबाई पत्नी भंवरलाल जी गुर्जर, निवासी गेहूँ का कुआ, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. रतनलाल पिता केसरिग जी अहीर, निवासी मोटीखेडी, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
2. मोना बाई पत्नी रमेश जी गुर्जर, निवासी गेहूँ का कुआ, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
3. वगतावरी बाई पत्नी हीरालाल जी गुर्जर, निवासी गेहूँ का कुआ, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
4. मानसिंह पिता अमरसिंह जी गुर्जर, निवासी गेहूँ का कुआ, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, मावली, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त0 अधि0–1955 विरूद्ध निर्णय
व डिक्री उपखण्ड अधिकारी मावली
दिनांक 18.06.2016 प्र.सं. 289 / 14

———/———

उपस्थित (वक्त बहस) 1– श्री भंवरसिंह राव अभिभाषक अपीलान्टगण
2– श्री अशोक टांक अभिभाषक रे.सं. 1 से 4
3– श्री पंकज भटनागर राजकीय अभिभाषक

———::———

निर्णय **दिनांक 25–02–2020**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान

काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा मोटीखेडी में वाद पत्र की कलम संख्या 1 परिशिष्ट ''अ'', ''ब'' व ''स'' की आराजियात अंकित है, जो वर्तमान राजस्व रेकार्ड में वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। मौके पर विधिवत विभाजन नहीं होने से काश्त करने में असुविधा होती है। अतः वाद पत्र की कलम संख्या 1 परिशिष्ट ''अ'', ''ब'' व ''स'' में अंकित आराजियात का उक्त परिशिष्टों में अंकित हिस्से अनुसार पक्षकार के मध्य मौके पर कब्जो अनुसार विभाजन कराया जावे तथा स्थायी निषेधाज्ञा दिलायी जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण राजस्व कैम्प में रख कर अपने निर्णय दिनांक 18–06–2016 से वादी का वाद स्वीकार कर प्रारम्भिक डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 28–06–2019 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 की ओर से वकील श्री अशोक टांक उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 5 की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री पंकज भटनागर उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मयाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट को निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 04–06–2019 को प्रारम्भिक डक्री की पालना एवं क्रियान्विति किये जाने हेतु सूचित किये जाने पर हुई, तत्पश्चात नकल प्राप्त कर अपील प्रस्तुत कर दी। अतः मयाद कण्डोन की जावे। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

उक्त आवेदन पर उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 18–06–2016 के विरूद्ध इस न्यायालय में अपील दिनांक 28–06–2019 को प्रस्तुत की गयी है, जो करीब 2 वर्ष 10 माह वर्ष विलम्ब से प्रस्तुत की गयी एवं देरी का जो कारण बताया गया है, वह उचित एवं पर्याप्त कारण नहीं है। फिर भी न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है, दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को बिना सूचना

दिये एवं बिना सुनवाई का अवसर दिये निर्णय पारित किया है, जिससे अपीलान्ट अपना पक्ष रखने से महरूम रह गया है। विवादित भूमि सहखातेदारी की होकर सभी पक्षकारान संयुक्त रूप से काबिज चले आ रहे हैं तथा मौके पर किसी प्रकार का कोई बंटवारा नहीं हुआ है, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त फरमायी जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को उपलब्ध साक्ष्यों के अनुरूप होना बताते हुए अपील खारिज करने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय ने राजस्व रेकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार प्रारम्भिक डिक्री जारी की है, जिसमें हम किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 18–06–2016 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 25–02–2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**एम. एल. चौहान, आर.ए.एस.** .....

भंवरलाल पिता देवीलाल जी गुर्जर, निवासी गेहूँ का कुआ, तह. मावली, जिला उदयपुर व अन्य बनाम **रतनलाल पिता केसरिग जी अहीर, निवासी मोटीखेडी, तहसील मावली, जिला उदयपुर व अन्य**

अपील नं.....**26 / 2019**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
..... **मावली** ..... मुकाम.....मुवर्खे.....**.....18**.....माह.....**06**.....**2006**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**25**....माह.....**02**.....सन् **2020** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री भंवरसिंह राव**.....मिनजानिब अपीलान्ट व.....**श्री अशोक टांक**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 18–06–2016 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**25**.....माह.....**02**.....**2020** को जारी किया गया ।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2020.03.02 14:54:59 IST
Reason: SelfAttested
Location: